रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-73 REGISTERED NO. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 3, 1984/पौष 13, 1905
No. 3] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 3, 1984/PAUSA 13, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

पटसन आयुक्त का कार्यालय

अधिसूचना

कलकत्ता, 3 जनवरी, 1984

का. आ. 3(अ) :—पटसन (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1961 के खंड 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एस. पी. मल्लिक, पटसन आयुक्त एतद्द्वारा बी. ट्वील्स (एक प्रकार का पटसन वस्त्र) की जिसकी माप 44¼"× 26½" साम्य वजन सिला किनारा 44"×26½" सिला 2¼ पौण्ड प्रति बोरा, 6×8,

3-नीले शुष्क सिला है तथा अन्य दृष्टियों से वर्तमान भा. मा. संस्था भा. मा (2566-1965 अद्यतन संशोधित) के अनुरूप है, अधिकतम बहिर्निर्माणी द्वारा कीमत 679.44 रुपये प्रति एक सौ बोरा नियत करते हैं । इसी अधिकतम कीमत पर उसका क्रय अथवा विक्रय जनवरी 1984 महीने के दौरान किया जायेगा

इस अधिसूचना के अधीन नियत की गई कीमत में उत्पादन शुल्क और विक्रय कर सम्मिलित नहीं : जिसका संदाय क्रेता को वास्तविक खर्च के अनुसार बहिर्निर्माणी कीमत के अतिरिक्त करना होगा ।

[फाइल नं. 8/2/83-जूट]

एस. पी. मल्लिक, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

Office of the Jute Commissioner

NOTIFICATION

Calcutta, the 3rd January, 1984

S.O. 3(E).—In exercise of the powers conferred by Clause 8 of the Jute (Licensing & Control) Order, 1961, I, S. P. Mallik. Jute Commissioner, hereby fix Rs. 679.44 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B. Twills (a variety of jute textiles) of the size 44½″×26½″ Hd. W.I.P. 44″×26½″ Hd. 2¼ lbs. per bag, 6×8, 3 blue, dry sewn and, conforming in all other respects to the current ISI Specification (No. IS : 2566-1965 as amended uptodate) shall be purchased or sold during the month of January, 1984.

2. The price fixed under this notification shall be exclusive of duty of excise and the sales tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

[F. No. 8|2|83-Jute]

S. P. MALLIK, Jute Commissioner

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984